

राजस्थान सरकार
राजस्व शैयोप-63 विभाग

प्रेसिडेंस:-

- 1- समस्त सम्भागीय आयुक्त, राजस्थान।
- 2- समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान।
- 3- निबन्धक, राजस्व मण्डल, अजमेर।

क्रमांक: प 634 राज-6/98/

जबपुर, दिनांक 26-3-98

-: परिचय :-

विषय:- कृति प्रयोजनार्थ आविटिन भूमि का कब्जा तरकाल देने बाबत ।

==== * * ===

- 1- राजस्थान भू-राजस्व कृति प्रयोजनार्थ भूमि आविटन के नियम, 1970 में भूमिहीन व्यक्ति को भूमि का आविटन किया जाता है। आविटन अधिकारी द्वारा भूमि का आविटन करने के पश्चात नियम 15 शंखी 3 में आविटन अधिकारी सम्बन्धित पटारी को आविटित भूमि का तरकाल कब्जा देने के निर्देश देता है। नियम 15(2) में आविटन आदेश के साथ आविटित भूमि का नकरात्र भी आविटो को दिया जाता है एवं नियम 15 (3) में यह स्पष्ट प्रावधान है कि आविटन तिथि से 15 दिन के अन्दर आविटी को आविटित भूमि का भौतिक कब्जा दे दिया जावेगा। नियम 15(3) के साथै यह भी प्रावधान है कि भूमि आविटो को आविटित भूमि का वात्तविक कब्जा आविटन के एक पाल के अन्दर नहीं होते तो वह कलेक्टर को प्रार्थना - पत्र देगा और कलेक्टर आविटन आदेश को पालना करायेगा।
- 2- राज्य सरकार के द्वारा मैं ताप्ता भवा है कि उपरोक्त प्रावधान के प्रश्नात भी भूमिहीन आविटितयों को आविटित भूमि का वात्तविक कब्जा नहीं होता जाता है। ऐसों स्थिति में आविटन के उद्देश्य को पूर्ण नहीं होतो होतो है।
- 3- राज्य सरकार द्वारा आविटित भूमि का कब्जा देने देते उपरोक्त प्रावधानों को पालना हेतु समय समय पर आवश्यक निर्देश दिये जाते रहे हैं, जिनमें मुख्यतः परिचय नियम 634 राज-4/84/16 दिनांक 20-10-84, 4-9-85, 7-1-88 एवं पं. 15(2) राज-6/95/17 दिनांक 5-8-95 है। इस सम्बन्ध में आविटित भूमि का कब्जा को कूलना नियांत्रित प्रणाली में राजस्व मण्डल को दिये जाने के निर्देश भी दिये हुए हैं।
- 4- जो भूमि कृति प्रयोजनार्थ आविटित होता है उनमें भूमि का नकरात्र द्वेष द्वेष जाने का प्रावधान राजस्थान - भू-राजस्व कृति प्रयोजनार्थ आविटन नियम,

1970 में है। यदि कोई खसरा नम्बर बड़ा हो और उसमें कई व्यक्तियों को भूमि आवंटित की गई हो तो ऐसे आवंटन आदेश के 15 दिन में मौके पर आवंटित भूमि का सीमांकन कर आवंटी को कहा दिया जाकर भूमि का नक्शा द्रेस किया जाना चाहिए। बड़े खसरे में एक या एक से अधिक आवंटियों को बिंकिये गये आवंटन की नक्शे में कब्जे देने के लाभ हो तरभीम कर नया खसरा नम्बर देकर पासबुक/पदटा व नक्शे को नकल भी एक माह के भीतर आवटी को देने की कार्यपादी की जाए। राज्य सरकार के ध्यान में लाया गया है कि अब भूमि बुकेखासों में आवंटी है जिनके कब्जे की भूमि का नया खसरा नम्बर नहीं दिया तथा न हो जपें में तरभीम की गई सबं फई मामलों में गलत राष्ट्र कब्जा बताया गया। इस प्रकार भैके व रिकार्ड में समानता नहीं है। अतः उपरोक्त द्विटियों को दूर दिया जाये। नक्शों पर छेती की परिषद् एवं विवरिति सीमाओं का सीमांकन करने के लिए भी आवश्यक निर्देश परिषद् दिनांक 20. 11. 87 जारी किये हुये हैं।

- ४५४ आपसे पुनः अनुरोध है कि इस संबंध में राज्य सरकार में द्वारा बिंकिये गये निर्देशों की पालना की जावे।
- ४६५ इस संबंध में यह भी निर्देश दिये जाते हैं कि जिला स्तर पर ऐसे प्रकरणों की सभी शीघ्र को जाए तथा जिन प्रकरणों में अभी कब्जा नहीं दिया गया है उन प्रकरणों में शीघ्र नियमानुसार कब्जा देने की कार्यपादी की जावे।
- ४७६ इस संबंध में की गई कार्यपादों की सूचना राज्य सरकार व राजस्व भण्डल को दी जाये।

४८० पी० सिंधु
शासन उपराज्यात